

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 75 / 2025


दिनांक : 10 .01.2025

श्री आरूष त्रिपाठी (RJ01314), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेड़ा (अलवर) को दिनांक 13.01.2025 से 18.01.2025 तक 06 दिनों का उपायुक्त अवकाश दिनांक 11.01.2025 से 12.01.2025 एवं 19.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री त्रिपाठी की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, अलवर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेड़ा (अलवर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/66/2020/327

दिनांक : 10.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 45417 दिनांक 13.12.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री आरूष त्रिपाठी (RJ01314), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेड़ा (अलवर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेड़ा (अलवर)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, अलवर।

  
सहायक रजिस्ट्रार